



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253197
CG-DL-E-18032024-253197

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1363]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 2024/फाल्गुन 26, 1945

No. 1363]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 2024/PHALGUNA 26, 1945

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1429(अ).— केन्द्रीय सरकार तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (ग) के साथ पठित, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, निम्नलिखित दिशानिर्देश अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. - (1) इन दिशानिर्देशों को स्पेसिफिक पैथोजन फ्री (एसपीएफ़) पेनियस मोनोडोन बीज उत्पादन और पालन के लिए दिशानिर्देश कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

स्पेसिफिक पैथोजन फ्री (एसपीएफ़) पेनियस मोनोडोन बीज उत्पादन और
पालन के लिए दिशानिर्देश

क. ब्रूडस्टॉक पालन या न्यूक्लियर ब्रीडिंग सुविधा की स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्थिति- (1) ब्रूडस्टॉक पालन सुविधा या न्यूक्लियर ब्रीडिंग सुविधा में रखे गए झींगा (श्रीम्प) की निगरानी कार्यक्रम द्वारा रोग की स्थिति से मुक्ति का इतिहास होना चाहिए, कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए।

(2) स्पेसिफिक पैथोजन फ्री का तात्पर्य है कि सुविधाएं, संचालन और प्राणी विशेष रूप से सूचीबद्ध रोगजनकों, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचीबद्ध रोगजनकों और भारत के लिए चिंता वाले अन्य रोगजनकों से मुक्त हैं; और स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्टॉक का उत्पादन करने वाली सुविधा को सरकार की नामित एजेंसी द्वारा स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्थिति के लिए भी प्रमाणित किया जाएगा।

ख. संगरोध.- (1) मूल पोस्ट लार्वा को पालकर ब्रूडस्टॉक में तैयार करने के साथ साथ हैचरी और ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्रों द्वारा आयातित सभी ब्रूडस्टॉक और देश में लाए गए प्रत्येक स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्टॉक को संगरोध से गुजरना होगा, भले ही वे भारतीय क्षेत्र के द्वीपों से मुख्य भूमि तक लाए गए हों।

(2) विशिष्ट रोगजनक मुक्त एल. वेन्नामई के आयात के लिए यथानिर्दिष्ट और पशुधन आयात अधिनियम, 1898(1898 का 9) के अधीन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2482 (अ), तारीख 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा यथा अधिसूचित सभी संगरोध दिशानिर्देश जिसमें जैव सुरक्षा अपेक्षाएँ, सीमा-पूर्व संगरोध अपेक्षाएँ, संगरोध अपेक्षाएँ, संक्रामणमुक्त प्रक्रिया आदि शामिल हैं, विशिष्ट रोगजनक मुक्त पी. मोनोडोन के मामले में भी लागू होंगे।

ग. स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडोन के लिए हैचरी के प्रचालन के लिए रक्षोपाय और विनियम

1. **स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडोन के प्रजनन हेतु आवेदन के मानदंड -** (1) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक जैव सुरक्षा सुविधाओं के साथ बीज उत्पादन में लगी या इस कार्य में संलग्न होने का उद्देश्य रखने वाली हैचरियां पी. मोनोडोन के स्पेसिफिक पैथोजन फ्री ब्रूडस्टॉक को आयात करने की अनुमति के लिए या स्वदेशी स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्रोत से प्राप्त करने और स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडोन के पोस्ट-लार्वा का उत्पादन और बिक्री करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(2) तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हैचरी के पंजीकरण के लिए हैचरी संचालक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए और 10,000/- (दस हजार रुपये) के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते हुए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) निरीक्षण उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित एक टीम द्वारा हैचरी सुविधाओं के उचित निरीक्षण के बाद पी. मोनोडोन के पालन के लिए हैचरी को प्राधिकरण द्वारा ही मंजूरी दी जाएगी।

(4) हैचरी में विभिन्न उत्पादन सुविधाओं के बीच वास्तविक रूप से फासले अथवा एकांतता या फिर फासला रखने के लिए अवरोध के निर्माण एवं प्रक्रिया और उत्पाद प्रवाह नियंत्रण के कार्यान्वयन के माध्यम से जैव सुरक्षा नियंत्रण किया जाएगा।

(5) हैचरी सुविधा में परिसर की परिधि के चारों ओर एक दीवार या बाड़ होगी, जिसमें जानवरों और अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त ऊंचाई होगी ताकि इस मार्ग से रोगजनक के प्रवेश के जोखिम को कम करने में मदद मिल सके, साथ ही समग्र सुरक्षा में सुधार हो सके।

2. स्वच्छता अपेक्षाएँ - (1) हैचरी में प्रवेश केवल इस क्षेत्र में काम करने के लिए नियुक्त कर्मियों तक ही सीमित रहेगा और सुविधा में प्रवेश करने वाले कर्मियों का रिकॉर्ड सुरक्षा कर्मियों द्वारा बनाए रखा जाएगा।

(2) कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति का प्रवेश अनिवार्य रूप से शॉवर और चेंजिंग रूम के माध्यम से होगा ताकि वे सुविधा में प्रवेश करने से पहले स्नान कर सकें और काम करने वाले कपड़े और जूते बदल सकें और कार्य शिफ्ट के अंत में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(3) इकाई में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर, वाहन के टायरों (गेट पर टायर धोना), पैरों (>50 पीपीएम एक्टिव इंफ्रिडेंट हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन वाले फुटबाथ), और हाथों (आयोडीन युक्त बोटलें) पालिविनाईलपायोरोलिडोन (पीवीपी) (20 पीपीएम और/या 70% अल्कोहल) को डिसइंफेक्ट किया जाएगा।

3. पानी का प्रवेश - (1) हैचरी की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई में अन्य सभी जल आपूर्ति प्रणालियों से अलग स्वतंत्र जल उपचार सुविधा होगी और पानी के उपयोग को कम करने और जैव सुरक्षा में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, हैचरी की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई के लिए अलग रीसर्कुलेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।

(2) हैचरी के जलाशय या सेटलिंग टैंक में सबसे पहले भरे जाने वाले पानी को सब-सैंड वेल्स पाइंट्स, सैंड फिल्टर्स (ग्रेविटी या प्रेशर), या मेष बैग फिल्टर के माध्यम से प्रारंभिक फिल्टरिंग द्वारा स्रोत पानी में मौजूद बैक्टीरिया और रोगजनकों के प्रवेश को रोकने के लिए फिल्टर और उपचारित किया जाएगा।

(3) क्लोरीनीकरण या ओजोनेशन या ऐसे अन्य उपयुक्त कीटाणुनाशकों द्वारा प्राथमिक डिसइन्फेकशन के बाद, और निपटान के बाद, पानी को फिर से एक महीन फिल्टर के साथ फिल्टर किया जाएगा और फिर पराबैंगनी प्रकाश (अल्ट्रावायोलेट लाइट) या ओजोन का उपयोग करके कीटाणुरहित किया जाएगा।

(4) जल आपूर्ति प्रणाली में सक्रिय कार्बन फिल्टर का उपयोग, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड और तापमान और लवणता विनियमन शामिल हो सकता है।

4. जल उपचार और अपशिष्ट जल निकासी - (1) हैचरी से डिस्चार्ज किए गए पानी को अस्थायी रूप से रोका जाएगा और डिस्चार्ज से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (>20 पीपीएम सक्रिय क्लोरीन कम से कम साठ मिनट के लिए) या अन्य प्रभावी कीटाणुनाशक से उपचारित किया जाएगा।

(2) सुविधा में उपयोग किए जाने वाले समुद्री जल को एक भंडारण टैंक में पहुंचाया जाएगा जहां इसे सबसे पहले हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन (कम से कम 30 मिनट के लिए 20 पीपीएम सक्रिय घटक) और तत्पश्चात सोडियम थायोसल्फेट (प्रत्येक पीपीएम क्लोरीन रेसीड्यू के लिए 1 पीपीएम) और मजबूत एरेशन के साथ उपचारित किया जाएगा।

(3) कोई भी अपशिष्ट जल क्लोरीनेशन और डीक्लोरीनेशन के बिना हैचरी से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा ताकि लार्वा को प्राकृतिक जल में जाने से रोका जा सके और इस प्रावधान को शामिल करने के लिए प्रवाह उपचार प्रणाली (एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम) को डिजाइन किया जाएगा।

5. उपकरणों का डिसइन्फेकशन - (1) प्रयुक्त कंटेनरों और होज़ों को आगे उपयोग करने से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (20 पीपीएम) से धोया और कीटाणुरहित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ब्रूडस्टॉक के होल्लिंग टैंक में-

- (i) उपकरणों का एक अलग सेट जिसे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और टैंकों के पास रखा जाएगा; और
- (ii) प्रत्येक दिन के उपयोग के अंत में सभी उपकरणों को कीटाणुरहित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

6. हैचरी में ब्रूडस्टॉक - (1) संगरोध के माध्यम से साफ़ किए गए केवल स्पेसिफिक पैथोजन फ्री ब्रूडस्टॉक का उपयोग बीज उत्पादन के लिए हैचरी में किया जाएगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्पेसिफिक पैथोजन फ्री के रूप में प्रमाणित ब्रूडस्टॉक के अलावा अन्य का उपयोग सख्त वर्जित है।

(3) स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडोन बीज उत्पादन में शामिल हैचरियां हैचरी परिसर के भीतर किसी अन्य गैर-स्पेसिफिक पैथोजन फ्री प्रजातियों का उपयोग नहीं करेंगी।

7. बीज उत्पादन और बिक्री - (1) नॉप्ली को अन्य हैचरियों को केवल तभी बेचा जा सकता है जब प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई हो और केवल परीक्षण और प्रमाणित पोस्ट-लार्वा ही बेचा जाएगा।

(2) उत्पादन से बिक्री तक स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडोन के पोस्ट-लार्वा को उचित जैव सुरक्षा सुरक्षा उपायों के साथ स्पेसिफिक पैथोजन फ्री सुविधा में बनाए रखा जाएगा।

(3) पोस्ट-लार्वा केवल उन किसानों को बेचा जाएगा जिन्होंने विशेष रूप से पी. मोनोडोन पालन के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराया है, और स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडोन पालन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति हैचरी संचालक द्वारा निरीक्षण के लिए रखा जाएगा।

(4) क्रेता या किसान के नाम और पते सहित बीज उत्पादन और बिक्री का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाएगा।

8. रोग रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखरखाव - (1) हैचरी में किसी भी बीमारी के फैलने की सूचना तुरंत प्राधिकरण को दी जाएगी।

(2) हैचरियां आयातित ब्रूडस्टॉक का रिकॉर्ड बनाए रखेंगी, जिसमें स्रोत, आयातित मात्रा, मृत्यु दर की संख्या, उत्पादित अंडे, उत्पादित नौपली, उत्पादित पोस्ट-लार्वा, बेचा गया पोस्ट-लार्वा, किसान का नाम और पता जिसको बेचा गया, पंजीकरण और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनुमति प्रमाण पत्र की तिथि और संख्या शामिल होगी और ये व्योरे इन दिशानिर्देशों के फॉर्म-ग-1 में प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

9. निरीक्षण - प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति समय-समय पर दौरा करेगा और ब्रूडस्टॉक, बीज उत्पादन और बिक्री की स्थिति की जांच करेगा।

10. अनाधिकृत हैचरी या फार्मों में स्टॉक का विनाश - निरीक्षण दल या प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हैचरी या फार्मों के निरीक्षण के दौरान, यदि कोई अनधिकृत बीज उत्पादन, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री की बिक्री स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडॉन का बीज या कल्चर देखा जाता है, तो निरीक्षण दल स्टॉक को जब्त, निपटान या नष्ट कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

11. बैंक गारंटी - इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित हैचरी को निगरानी शुल्क के तौर पर पचास हजार रुपये का भुगतान करना होगा और तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के अनुसरण में तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण के पक्ष में, इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी और उल्लंघन करने पर बैंक गारंटी इनवोक किया जाएगा।

घ . फार्मों का अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानदंड और विनियम

1. स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडॉन पालन के लिए फार्मों का पात्रता मानदंड- (1) प्राधिकरण के साथ पंजीकृत जलकृषि किसानों को स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडॉन की खेती के लिए अनुमति के लिए एक अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा अधिकृत निरीक्षण दल फार्म का निरीक्षण करेगा और पी. मोनोडोन पालन के लिए सुविधा की उपयुक्तता के संबंध में दल की सिफारिश के आधार पर प्राधिकरण के सचिव द्वारा आवेदनों को पी. मोनोडोन की खेती के लिए अनुमति जारी करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने हेतु संसाधित किया जाएगा।

(3) बाड़, जलाशय, पक्षियों को भगाने, प्रत्येक तालाब के लिए अलग उपकरण आदि सहित पर्याप्त जैव सुरक्षा उपाय फार्म स्थापित करेंगे, और उन कर्मियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जो जैव सुरक्षा उपायों के प्रबंधन में प्रशिक्षित या अनुभवी हैं।

(4) फार्मों का आकार जैसा भी हो वहाँ एक एफफ्लुएंटेड ट्रीटमेंट सिस्टम होगा जो पालन के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल को संभालने में सक्षम हो। एफफ्लुएंटेड ट्रीटमेंट सिस्टम के आकार के आधार हार्वेस्टिंग सीकुएंशियल होगी और अपशिष्ट जल की क्वालिटी प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी। (≤ 10)

(5). एसपीएफ पी. मोनोडोन के कम स्टॉकिंग डेनसिटी (≥ 10 पीएल /एम²) के साथ पालन के मामले में, 5 हेक्टेयर से कम के फार्म के लिए एफफ्लुएंटेड ट्रीटमेंट सिस्टम वैकल्पिक है।

2. जल निकासी प्रोटोकॉल - (1) बीमारी के किसी भी प्रकोप के मामले में, डिस्ट्रेस हार्वेस्टिंग केवल जाल के माध्यम से किया जा सकता है और ड्रेनेज में जल की निकासी से पहले पानी को क्लोरीनयुक्त और डीक्लोरीनीकृत किया जाएगा।

(2) अपशिष्ट जल को कम से कम दो दिनों की अवधि के लिए प्रवाह उपचार प्रणाली में रखा जाएगा।

(3) जो फार्म, फार्मिंग के लिए ज़ीरो वॉटर एक्सचेंज सिस्टम का पालन करते हैं, वे भी पी. मोनोडोन का पालन कर सकते हैं।

3. जैव विचारणा - स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडोन पालन के लिए अनुमोदित फार्मों में एक ही तालाब या फार्म में एक साथ किसी अन्य गैर-एसपीएफ क्रस्टेशियन प्रजाति के पालन की अनुमति नहीं है।

4. स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडोन पालन मानदंड - (1) परीक्षित और प्रमाणित बीज केवल स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडोन ब्रूडस्टॉक के प्रजनन और बीज बेचने के लिए अधिकृत हैचरियों से ही खरीदा जाएगा।

(2) स्टॉकिंग डेनसिटी 30 संख्या/एम² से अधिक नहीं होगा।

(3) अपशिष्ट जल मानकों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य होगा और प्रत्येक मामले में प्राधिकरण द्वारा अधिकृत निरीक्षण दल तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण विनियम, 2008 में अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार अपशिष्ट जल की क्वालिटी की निगरानी करेगा।

5. फार्मों पर रिकॉर्ड रखखाव - (1) किसानों को उस हैचरी का नाम और पता जहां से उन्होंने बीज खरीदा था, खरीदी गई मात्रा, हैचरी के वैध पंजीकरण की संख्या और तारीख आदि का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा।

(2) किसान उत्पादित, बेची गई झींगा की मात्रा और जिस प्रोसेसर को बेचा गया उसका नाम और पता रिकॉर्ड करेंगे और इसे निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण द्वारा अधिकृत निरीक्षण दल को उपलब्ध कराया जाएगा।

ड. पेनियस मोनोडोन पालन के लिए पंजीकृत फार्म को लिटोपेनियस वेन्नामेई पालन की अनुमति देने के लिए मानदंड. - (1) सफल पालन सुनिश्चित करने के लिए फार्म के आकार की परवाह किए बिना जैव सुरक्षा आवश्यकताएँ आवश्यक हैं।

(2) तालाबों को भरते समय गैर-कीटाणुरहित खाड़ी के पानी का उपयोग करने से बीमारी होने के खतरे से बचने के लिए, यदि उनके पास जलाशय तालाब नहीं हैं, तो स्टॉक करने से पहले पानी का कीटाणुशोधन तालाब में ही किया जाना चाहिए।

(3) प्रोबायोटिक्स के साथ इन-सीटू बायोरेमेडिएशन के साथ शून्य जल विनिमय प्रणाली का पालन किया जाए।

(4) श्रम और उपकरणों के लिए अन्य सभी जैव सुरक्षा आवश्यकताओं जैसे फिल्ट्रेशन, बाड़ लगाना (आदमी, केकड़ा और पक्षी) और डिसइन्फेक्शन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(5) पांच हेक्टेयर से अधिक के पी. मोनोडोन फार्मों में एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम अनिवार्य है और एल. वेन्नामी पालन के मामले में आकार भले जैसा हो, उन सभी फार्मों के लिए अनिवार्य है जब वे एल. वेन्नामी पालन के दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रति वर्ग मीटर में साठ की संख्या तक के स्टॉकिंग डेनसिटी का पालन करते हैं। एल. वेन्नामी की कम डेनसिटी के साथ पालन में, (यानी, प्रति वर्ग मीटर बीस संख्या), पांच हेक्टेयर से कम के फार्म के लिए एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम वैकल्पिक है जैसा कि पी मोनोडोन के पालन के मामले में अपनाया गया था।

(6) पालन और हार्वेस्ट के बाद, ससपेनडेड पार्टिकुलस के सेट्टलमेंट के लिए तालाब में पानी को कम से कम तीन दिनों तक रखा जाएगा और छोड़ने से पहले कीटाणुरहित किया जाएगा।

(7) हालांकि ये दिशानिर्देश छोटे स्वतंत्र किसानों के लाभ के लिए जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं, सामान्य जलाशयों, सामान्य एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम और सामूहिक जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ समूह खेती को प्राथमिकता दी जानी है।

फॉर्म ग- I
[पैरा ग-8(2) देखें]

हैचरियों से त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रारूप

रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

1. नाम और पता
2. पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा आयात करने की अनुमति की तारीख और संख्या
3. आयातित ब्रूडस्टॉक की संख्या, नर और मादा
4. परिवहन मृत्यु दर
5. संगरोध मृत्यु दर
6. स्पॉनिंग की कुल संख्या
7. उत्पादित अंडों की कुल संख्या
8. उत्पादित नौपली की कुल संख्या
9. उत्पादित पोस्ट-लार्वा की कुल संख्या
10. सामान्य जलीय स्वास्थ्य निगरानी पर रिपोर्ट और कोई भी असामान्य मृत्यु दर
11. किसानों को बेचे गए पोस्ट-लार्वा की कुल संख्या
12. जिन किसानों को बीज बेचा गया उनका विवरण (नाम, पता, पंजीकरण संख्या की जानकारी शामिल होनी चाहिए,) और तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा स्पेसिफिक पैथोजन फ्री पी. मोनोडॉन के पालन के लिए अनुमति पत्र की प्रति

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-डीओएफ (ई-23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1429(E).— In pursuance of section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (c) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby notifies the following guidelines, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These guidelines may be called the Guidelines for Seed Production and Culture of Specific Pathogen Free *Penaeus monodon*.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**Guidelines for seed production and culture of Specific Pathogen Free
*Penaeus monodon***

A. Specific Pathogen Free Status of Broodstock Rearing or Nuclear Breeding Facility.— (1) Shrimp that are maintained in the broodstock rearing facility or Nuclear Breeding Centre shall have a history of freedom from disease status documented through a surveillance programme, at least for a continuous period of two years.

(2) Specific pathogen free implies that the facilities, operations and animals are free of the specifically listed pathogens, World Organisation for Animal Health listed pathogens and other pathogens of concern to India; and the facility producing the specific pathogen free stock shall also be certified for the specific pathogen free status by the designated agency of the Government.

B. Quarantine.- (1) All the broodstock including parent post larvae meant for rearing into broodstock imported by hatcheries and Broodstock Multiplication Centres shall undergo quarantine including every specific pathogen free stock brought into the country even if they are brought from the islands of the Indian territory to the mainland.

(2) All the quarantine guidelines including biosecurity requirements, preborder quarantine requirements, disinfection methods, etc., as provided for import of specific pathogen free *L. vannamei* and as notified *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, number S.O. 2482 (E), dated the 15th October, 2008 under the Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898), shall be applicable in the case of specific pathogen free *P. monodon* too.

C. Safeguards and Regulations for Operation of Hatcheries for Specific Pathogen Free *P. monodon*

1. Criteria for application to breed specific pathogen free *P. monodon*.-(1) Hatcheries engaged or intending to be engaged in shrimp seed production having the required biosecurity facilities as specified by the Authority shall be eligible to apply for registration with the Authority and for permission to import specific pathogen free *P. monodon* broodstock or to acquire from indigenous specific pathogen free source and to produce and sell post-larvae of specific pathogen free *P. monodon*.

(2) The hatchery operator shall submit application in prescribed format to the Authority duly enclosing required documents and payment of registration fee of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) for registration of hatchery in accordance with the procedure laid down in rule 9 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024.

(3) Approval of the hatchery for rearing specific pathogen free *P. monodon* shall be given by the Authority after due inspection of the hatchery facilities by a team constituted the Authority for this purpose.

(4) The hatchery facilities shall have strict biosecurity control through physical separation or isolation of the different production facilities effective through the construction of barriers and implementation of process and product flow controls.

(5) The hatchery facility shall have a wall or fence around the periphery of the premises, with adequate height to prevent the entry of animals and unauthorised persons to help reduce the risk of pathogen introduction by this route, as well as improve overall security.

2. Sanitary requirement.-(1) Entry into the hatchery shall be restricted to the personnel assigned to work exclusively in this area and a record of personnel entering the facility shall be maintained by the security personnel.

(2) The entry of any person including staff shall be compulsorily through shower and changing room to enable them to take shower and change into working clothes and boots before entering the facility and the same procedure shall be followed at the end of the working shift.

(3) A provision shall be made for disinfection of vehicle tyres (tyre baths at the gate), feet (footbaths containing hypochlorite solution at >50 ppm active ingredient), and hands (bottles containing iodine). Polyvinylpyrrolidone (PVP) 20 ppm and/or 70% alcohol) to be used upon entering and exiting the unit.

3. Water intake.- (1) Each functional unit of the hatchery shall have independent water treatment facility isolated from all other water-supply systems and separate recirculation systems may be used for each functional unit of hatchery to reduce water usage and improve biosecurity, especially in high risk areas.

(2) Water for the hatchery shall be filtered and treated to prevent the entry of vectors and pathogens that may be present in the source water by initial filtering through sub-sand well points, sand filters (gravity or pressure), or mesh bag filters into the first reservoir or settling tank.

(3) After primary disinfection by chlorination or ozonation or such other appropriate disinfectants, and after settlement, the water shall be filtered again with a finer filter and then disinfected using ultraviolet light or ozone or both.

(4) The water-supply system may include use of activated carbon filters, the addition of ethylene diamine tetra acetic acid and temperature and salinity regulation.

4. Water treatment and discharge of wastewater.-(1) The discharged water from the hatchery, shall be held temporarily and treated with hypochlorite solution (>20 ppm active chlorine for not less than sixty minutes) or other effective disinfectant and appropriately dechlorinated prior to discharge.

(2) The seawater to be used in the facility shall be delivered into a storage tank where it will be treated with hypochlorite solution (20 ppm active ingredient for not less than thirty minutes) followed by sodium thiosulphate (1 ppm for every ppm of residual chlorine) and strong aeration.

(3) No wastewater shall be released out of the hatchery without chlorination and dechlorination and Effluent Treatment System shall be designed in accordance with the desires and capacity as specified by the Authority to include this provision.

5. Disinfection of implements.- (1) Used containers and hoses must be washed and disinfected with hypochlorite solution (20 ppm) before further use.

(2) Each broodstock holding tank shall have-

- (i) a separate set of implements which must be clearly marked and placed near the tanks; and
- (ii) facilities for disinfection of all the implements at the end of each day's use.

6. Broodstock in hatchery.- (1) Only specific pathogen free broodstock cleared through the quarantine shall be used in the hatchery for seed production.

(2) Use of broodstock other than those certified as Specific Pathogen Free by the designated authority is strictly prohibited.

(3) Hatcheries involved in specific pathogen free *P. monodon* seed production shall not use any other non-Specific Pathogen Free species within the hatchery premises.

7. Seed production and sale.- (1) Nauplii may be sold to other hatcheries only when permitted by the Authority and only tested and certified post-larvae shall be sold.

(2) Post-larvae of specific pathogen free *P. monodon* right from production to sale shall be maintained at the specific pathogen free facility with proper biosecurity safeguards.

(3) Post-larvae shall be sold only to the farmers who have registered with the Authority specifically for the culture of *P. monodon*, and a copy of the certificate of registration issued by the Authority for culturing specific pathogen free *P. monodon* shall be retained by the hatchery operator for inspection.

(4) The detailed record of the seed production as well as sale including the name and address of the buyer or farmer shall be maintained.

8. Disease reporting and record maintenance. - (1) Any disease outbreak in the hatchery shall be reported immediately to the Authority.

(2) The hatcheries shall maintain a record of the imported broodstock or indigenously certified broodstock of specific pathogen free status with details of source, quantity imported, or procured from indigenous sources, the number of mortality, eggs produced, nauplii produced, post-larvae produced, post-larvae sold, name and address of the farmer to whom sold, date and number of the registration and permission certificate issued by the Authority and report these in their quarterly compliance reports to be submitted to the Authority in Form-C-I annexed to these guidelines.

9. Inspection.- Any person authorised by the Authority shall periodically visit and check the status of the broodstock, the seed production and sale.

10. Destruction of stock at unauthorised hatcheries or farms. - During the inspection of hatcheries or farms by the inspection team or Authorized Officer of the Authority, if any unauthorised seed production, sale of specific pathogen free seed or culture of Specific Pathogen Free *P. monodon* is noticed, the inspection team may confiscate, dispose of or destroy the stock, as it thinks fit.

11. Bank Guarantee. - The approved hatcheries shall pay rupees fifty thousand towards monitoring fee and deposit a bank guarantee for five lakhs rupees in favour of the Coastal Aquaculture Authority in accordance with the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, to ensure compliance of these Guidelines and in the event of any violation, the bank guarantee shall be invoked.

D. Norms and Regulations for Approval and Operation of Farms

1. Eligibility criteria for farms to culture specific pathogen free *P. monodon*.- (1) Aquaculture farmers registered with the Authority shall submit a separate application for permission for farming specific pathogen free *P. monodon*.

(2) The inspection team authorised by the Authority, for specific pathogen free *L. vannamei* culture, shall inspect the farm intending to culture specific pathogen free *P. monodon* and based on its recommendation regarding the suitability of the facility for farming of specific pathogen free *P. monodon*, applications shall be processed by the Secretary of the Authority for approval of the Authority for issuing permission to farms for farming of specific pathogen free *P. monodon*.

(3) Farms culturing specific pathogen free *P. monodon* shall establish adequate biosecurity measures including fencing, reservoirs, bird-scare, separate implements for each of the ponds and be managed by personnel who are trained or experienced in management of biosecurity measures.

(4) Farms irrespective of their size shall have an Effluent Treatment System which is able to handle the wastewater let off during harvest. Harvesting shall be sequential depending on the size of the Effluent Treatment System and the quality of the wastewater shall conform to the standards prescribed under the guidelines issued by the Authority.

(5) In low stocking density (≤ 10 PL/m²) culture of specific pathogen free *P. monodon*, Effluent Treatment System is optional for farms less than 5 ha.

2. Water discharge protocols. - (1) In case of any outbreak of disease, distress harvesting may be done through netting and the water shall be chlorinated and dechlorinated before release into drainage system.

(2) Wastewater shall be retained in the Effluent Treatment System for a minimum period of two days.

(3) Farms which follow Zero Water Exchange system of farming may also take up specific pathogen free *P. monodon* farming.

3. Biosecurity considerations. - Farms approved for specific pathogen free *P. monodon* culture shall not be permitted for farming of any other non-specific pathogen free crustacean species simultaneously in the same pond or farm.

4. Norms for culture of Specific Pathogen Free *P. monodon*. - (1) Tested and certified seed shall be procured only from hatcheries authorised to breed specific pathogen free *P. monodon* broodstock and sell the seed.

(2) Stocking densities shall not exceed 30 no./m².

(3) Strict compliance with the wastewater standards shall be mandatory and inspection team authorised by Authority in each case shall monitor the quality of wastewater as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2008.

5. Record maintenance at farms. - (1) The farmers shall maintain a detailed record of the name and address of the hatchery from where they procured the seed, quantity procured, number and date of the valid registration of the hatchery, etc.

(2) The farmers shall record the quantity of shrimp produced, sold, and the name and address of the processor to whom sold and it shall be made available to the inspection team authorised by the Authority, during inspection.

E. Norms for permitting farms which are registered for *P. monodon* culture to take up *L. vannamei* culture. - (1) Biosecurity requirements are essential irrespective of the size of the farm for ensuring successful culture.

(2) To avoid the risk of disease occurrence using non-disinfected creek water while filling up the ponds, water disinfection prior to stocking should be done in the pond itself, in case if they do not have the reservoir ponds.

(3) Zero water exchange system with in-situ bioremediation with probiotics may be followed.

(4) All the other biosecurity requirements like filtration, fencing (men, crab, and bird) and disinfection protocol for the labour and implements should be strictly followed.

(5) Effluent Treatment System is mandatory in *P. monodon* farms of above five hectares and case of *L. vannamei* culture, is mandatory for all farms irrespective of the size when they follow the stocking density of up to sixty numbers per square meter as provided in the Guidelines for *L. vannamei* culture, in low density culture of *L. vannamei*, (i.e., twenty numbers per square meter), Effluent Treatment System is left optional for farms of less than five hectares as was followed in the case of *P. monodon* culture.

(6) After the culture and harvest, the water in the pond shall be retained for at least three days for the settlement of suspended particles and disinfected before release.

(7) Though these Guidelines are issued having due regard to the bio-security protocols to the benefit of small independent farmers, group farming may be preferred with common reservoirs, common Effluent Treatment System and collective biosecurity protocols.

FORM C-I

[See Para C- 8 (2)]

Format for Quarterly Compliance Report from Hatcheries

The report should contain the following information:

1. Name and Address
2. Date and number of certificate of registration and permission to import
3. Number of broodstock imported, males and females
4. Transport mortality
5. Quarantine mortality
6. Total number of spawning
7. Total number of eggs produced
8. Total number of nauplii produced
9. Total number of post-larvae produced
10. Report on general aquatic health monitoring and any unusual mortality
11. Total number of post-larvae sold to the farmers
12. Details of the farmers to whom seed sold (should include information on the name, address, Registration Number) and copy of the permission letter for culturing Specific Pathogen Free *P. monodon* issued by Coastal Aquaculture Authority.

Place :

Signature

Date :

Name of the authorised signatory

[F. No. J-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.